न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 68/23

GCMS NO 2023/181

रामजीलाल पुत्र हरगोविन्द जाति मीना निवासी गम्भीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. गुलबी पत्नि स्व0भजन जाति मीना
2. धनसिह पुत्र स्व0भजन जाति मीना
3. विजयराम पुत्र स्व0भजन जाति मीना
4. अंगद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासीयान गंभीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
5. छोटी पत्नि स्व0लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी गंभीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर (मृतक) (नाम हजफ)
6. विशनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना
7. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीनारा[illegible] जा[illegible] मीना
8. रामखिलाडी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना
9. मुच्छकन्द पुत्र हरगोविन्द जाति मीना
10. रामदयाल पुत्र हरगोविन्द जाति मीना
11. शिवदयाल पुत्र हरगोविन्द जाति मीना
12. नेतराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति मीना समस्त निवासीयान गंम्भीरा तहसील मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
13. बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भाडौती जिला सवाई माधोपुर
14. उप पंजीयक मलारना डूँगर जिला सवाई माधोपुर
15. तहसीलदार तहसील मलारना [illegible]र जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 20/21 निर्णय दिनांक 3.8.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, मलारना डूँगर)

अभिभाषक अपीला0 श्री विनोद कुमार अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 सुश्री पदमिनी राडौड

दिनांक 12.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 3.8.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूँगर [illegible] की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि [illegible] व अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज [illegible] भूमि का अभी तक बंटवारा विधिवत नही हुआ है। परन्तु मौके पर मुताबिक हिस्सा [illegible] बांटकर कब्जे काश्त का लाभ प्राप्त कर रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख[illegible] 473

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.42 है0, 1105 रकबा 0.38 है0, 1355 रकबा 0.33 है0, 1487 रकबा 0.25 है0, 1712 रकबा 0.05 है0, 364 रकबा 0.07 है0, 7(...) रकबा 0.06 है0, ग्राम गंभीरा मे स्थित है। यह पक्षकारान की पैतृक भूमि है। किसी की भी स्वअर्जित भूमि नही है। इस भूमि का पक्षकारो के मध्य अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाकर प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी हिस्से अनुसार आराजी का बंटवारा किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि का जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को बेचान नही किया जा सकता है तथा रहन भी नही किया जा सकता है। आराजी को सहखातेदार धनसिह,विजयराम पिता भजन, गुलबी पत्नि स्व0 भजन ने राजस्व रिकार्ड मे भूमि का विधिवत बंटवारा कराये बिना ही अजनबी खातेदार नेतराम पुत्र हनुमान प्रसाद मीना निवासी ...रा को दिनांक 22.10.21 को भूमि ख0न0 364,763,936 कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 है0 का अपने हिस्से की 1/2 सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। परन्तु उसका अभी तक नामा0 तस्दीक नही हुआ। प्रार्थी को उक्त बेचान का दिनांक 28.10.21 को पता चलते ही प्रार्थी ने बेचानकर्ता से कहा कि आपने बिना तकासमा कराये ही बेचान क्यो किया है तो बेचानकर्ता नाराज हो गये तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा शेष आराजी को भी बेचान करने की धमकी दी गई। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 1473 रकबा 0.42 है0, 1105 रकबा 0.38 है0, 1355 रकबा 0.33 है0, 1487 रकबा 0.25 है0, 1712 रकबा 0.05 है0, 364 रकबा 0.07 है0, 763 रकबा 0.06 है0, 936 रकबा 0.06 है0 ग्राम गंभीरा का जब तक विधिवत बंटवारा नही हो जावे तब तक प्रार्थी को बलपूर्वक शामलाती भूमि से बेदखल नही करे तथा ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बेचान करे एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी नौकर ऐजेन्ट या परिजन से करावे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से लायके मंन्सूखी है। आदेश जैर अपील देने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का विधिपूर्वक अवलोकन नही किया तथा कतई विधि विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य सुस्पष्ट था कि भूमि संयुक्त खातेदारी की है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि मे अगर कोई व्यक्ति जो संयुक्त खातेदार नही है भूमि खरीदता है तो वह तब तक कब्जा नही ले सकता जब तक कि बाई मीटस एवं बाउन्डस बंटवारा नही करा ले। क्योकि तृतीय व्यक्ति कहॉ काबिज होगा, ये तथ्य ... कब्जा नही ले सकता। यह मुकदमा अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा का था एवं तकासमा ... बात ही रेस्पो0 जिसने जरिये बेचान 28.10.21 भूमि खरीदी है वह तभी कब्जा ले सकता ... न्यायालय से बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नही करा ले। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने फैसले के पेज न0 4 पर ये मान लिया कि संयुक्त खातेदारी मे सहखातेदार भूमि बेच सकता है ये सही है कि संयुक्त खातेदार भूमि बेच सकता है, जो उसका हिस्सा रिकार्ड मे दर्ज है, लेकिन वह जब तक तकासमा नही हो जावे, तब तक कब्जा नही ले सकता है। ऐसी दशा मे फर्दर लिटिगेशन से बचने के लिए विभाजन के बाद मे न्याय की ये मानना है कि मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाई रखी जावे। पक्षकारान मे कोई विवाद उत्पन्न ना हो, अन्यथा तो मौके एवं रिकार्ड मे फेरबदल होने पर तकासमा होना नामुमकिन हो जावेगा एवं लिटिगेशन का कोई अन्त ही नही होगा। अधिनस्थ न्यायालय ने मेलाफाईड आदेश जैर अपील पारित किया है। पीठासीन अधिकारी श्री किशन मुरारी के ट्रासफर आदेश दिनांक 31.7.23 को आ गये थे इसके बाबजूद भी इस बात का पूर्ण इल्म होते हुए भी कि उनका ट्रासफर हो गया है, तीन दिन पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित किया है जो न्याय के सिद्वान्तो का उल्लंघन है। आदेश जैर अपील की आड मे अप्रार्थी रेस्पो0 नेतराम मौके पर अपनी इच्छानुसार भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अगर ऐसा हुआ तो अपीलांट का अधिनस्थ न्यायालय मे मुकदमा करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय को इस स्थिति से बचने के लिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए था ताकि ताफैसला दावा पक्षकारो मे किसी प्रकार का विवाद नही बढे। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल,इम्प्रोपर व विदाउट ज्यूरिडिक्शन होने से लायके मन्सूखी है। अतःअपीलांट कीअपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सम्पूर्ण रूप से स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारो की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। पक्षकारो ने मौके पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया हुआ है। कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि को विधिवत रूप से विक्रय कर सकता है। अप्रार्थी/रेस्पो0 धन सिह, विजयराम व गुलबी ने अपने इसी अधिकार के तहत भूमि का बेचान अप्रार्थी नेतराम को विधिवत रूप से विक्रय किया है एवं विक्रय की गई भूमि पर केता का कब्जा काश्त है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। संयुक्त खातेदारी की भूमि मे रिकार्डेड खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान करने का अधिकार प्राप्त है। किसी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है । जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 364,763,936 कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 है0 को अप्रार्थी धनसिंह,विजयराम व गुलबी ने अपने हिस्से की 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:43:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण भूमि का बेचान नेतराम पुत्र हनुमान प्रसाद मीना निवासी गंभीरा को दिनांक 22.10.21 को किया गया है। इस तथ्य को भी उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। चूकिःविवादित आराजीयात के बाबत तकासमा का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है यदि दौराने दावा विवादित आराजीयात मे से रहन बेचान किया जाता है तो अनावेश्यक रूप से पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता की स्थिति उत्पन्न होना संभव है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। उभयपक्ष के बीच वाद वाहुलता नही बढे अनावश्यक रूप से मुकदमे वाजी नही हो। इसी कानूनी बिन्दु के मद्वेनजर विवादग्रस्त आराजीयात को रहन बय नही करने हेतु उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि सम्मत है। अपीलाधीन आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण दिनांक 31.7.23 के तीन दिवस पश्चात दिनांक 3.8.23 को पारित किया है जो न्यायिक प्रकिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 20/21 मे पारित निर्णय दिनांक 3.8.23 को निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख0न0 1473 रकबा 0.42 है0, 1105 रकबा 0.38 है0, 1355 रकबा 0.33 है0, 1487 रकबा 0.25 है0, 1712 रकबा 0.05 है0, 364 रकबा 0.07 है0, 763 रकबा 0.06 है0, 936 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम गंभीरा तहसील मलारना डूँगर को रहन,बय नही करे, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.8.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner